सं. 42/04/2019-पी एंड पी डब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 3 दिसंबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.07.2019 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की स्वीकृति।

इस विभाग के दिनांक 27.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/04/2019-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) के अनुक्रम में राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले सीपीएफ लाभार्थियों को दिनांक 01.07.2019 से महंगाई राहत का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 तथा 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) के तहत दिनांक 01.11.1997 से 600 रूपए प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि संस्वीकृत की गई थी, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के का. ज्ञा. सं. 1/10/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा संशोधित कर, समूह क, ख, ग तथा घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000रू, 1000रू, 750रू और 650रू कर दिया गया था, वे 01.07.2019 से 295% से 312% तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) निम्नलिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी जो इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) के अनुसरण में अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे 01.07.2019 से 287% से 304% की दर से संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए 01.01.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और आश्रित संतानें, जिन्हें 605रू प्रतिमाह की अनुग्रह राशि संस्वीकृत की गई थी और जिसे 27 जून, 2013 के का. ज्ञा. सं. 1/10/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) के तहत दिनांक 04 जून, 2013 से संशोधित करके 645रू प्रतिमाह कर दिया गया था।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए थे, और जिन्हें 654/- रूपये, 659/- रूपये, 703/- रूपये और 965/- रूपये की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

3. प्रत्येक वैयक्तिक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा का परिकलन करना राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

4.	जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित लाभार्थियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

5.	इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 के का. ज्ञा. सं. 1/3(2)/2008-ई.॥(बी) के अनुसरण में जारी किया गया है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार।

2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों को सूचनार्थ प्रतिलिपि।